न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 122/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2013/ 00009)

रामस्वरूप पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी ग्राम टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गिरधारी जाति खटीक निवासी नणाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विनोद कुमार पुरोहित – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 31.08.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 19.07.2013 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर में तहसीलदार नोहर द्वारा स्वीकत नामान्तकरण सं. 614 दिनांक 31.12.2012 गै.मु. आवासीय भूमि का नामान्तकरण दर्ज किया गया, के विरूद्व अपील पेश कर उसे अपास्त करने निवेदन किया जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2013 द्वारा अपील को स्वीकार कर नामान्तकरण सं. 614 दिनांक 31.12.2012 को निरस्त कर तहसीलदार नोहर को निर्देश दिया कि सपरिवर्तन रूल्स 2007 के नियम 12 के अनुसार एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग के पत्र क्रमांक प.6 (6) राज–6/92 पार्ट/8 जयपुर दिनांक 16.08.2012 के बिन्दु सं. 4 में दिये गये नियम 12 के सम्बन्ध मे मार्गदर्शन के अनुसार उक्त प्रकरण से सम्वन्धित नामान्तकरणो एवं सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी आदि) में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सुनिश्चित करे। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व दिनांक 27.06.2017 को एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश दिये गये।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 19.07.2013 के विरूद्व पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना हो चुकी है, राजस्व अभिलेख मे खातेदार आवासीय अंकित हो चुका है, यह कहते हुए उन्होने फार्म नं. 3 के साथ जमाबन्दी सं. 2073–2076 ग्राम टोपरिया बरानी की प्रति प्रस्तुत कर अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 19.07.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उन्होने नामान्तकरण सं. 614 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड किया है। मूलतः नामान्तकरण सं. 614 रूपान्तरण पश्चात विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्रो के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के निर्देश के साथ प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है, जिसमे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि नही की है, साथ ही भूमि रूपान्तरण के मामलो मे नामान्तकरण की नई प्रक्रिया से सम्बन्धित राजस्व विभाग द्वारा नवीन परिपत्र भी जारी किये जा चूके है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर